रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122021-232172
CG-DL-E-27122021-232172

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 670] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943
No. 670] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

भारतीय उपचर्या परिषद्

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2021

फा.सं. 18—18 / 8080—आईएनसी.—समय—समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :—

जबकि, श्री जगराम नर्सिंग कॉलेज, सी—118, भारती निकेतन, गोविंदपुरा, भोपाल, जिला भोपाल—462044 (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा मध्य प्रदेश उपचर्या पंजीकरण परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), मध्य प्रदेश सरकार, कमरा संख्या 241, मंत्रालय (वल्लभ भवन), अरेरा हिल्स, भोपाल—462004, मध्य प्रदेश को संबोधित नोटिस संख्या 18—18 / 8080—आईएनसी दिनांक 04.02.2020 को जारी किया गया था। दिनांक 04.02.2020 को जारी नोटिस की एक प्रति श्री जगराम नर्सिंग कॉलेज, सी—118, भारती निकेतन, गोविंदपुरा, भोपाल, जिला भोपाल—462044, मध्य प्रदेश को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, श्री जगराम नर्सिंग कॉलेज, मध्य प्रदेश के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। और संस्था यानी श्री जगराम नर्सिंग कॉलेज ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत वैधानिक निरीक्षण कराने से इनकार किया जाना एक गंभीर मुद्दा है। केवल निरीक्षणों के आधार पर ही परिषद् नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेने की स्थिति में होती है। निरीक्षण से इनकार करने का वास्तविक अर्थ यह होगा कि संस्थान के पास अपेक्षित शैक्षणिक, नैदानिक या संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 19.06.2021 से श्री जगराम नर्सिंग कॉलेज, सी–118, भारती निकेतन, गोविंदपुरा, भोपाल, जिला भोपाल–462044, मध्य प्रदेश से बी.एससी (नर्सिंग) मान्यताप्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./533/2021-22]

INDIAN NURSING COUNCIL

ORDER

New Delhi, the 23rd December, 2021

F.No. 18-18/8080-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, Shree Jagram Nursing College situated at C-118, Bharti Niketan, Govindpura, Bhopal, Dist. Bhopal–462044, Madhya Pradesh was recognized by State Government of Madhya Pradesh and Madhya Pradesh Nurses Registration Council.

Whereas, a notice no. 18-18/8080-INC dated 04/02/2020 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary (Health & FW), Government of Madhya Pradesh, Room No. 241, Mantralaya (Vallabh Bhawan) Area Hills, Bhopal – 462004, Madhya Pradesh was issued. Copy of the notice dated 04/02/2020 was also enclosed to Shree Jagram Nursing College situated at C-118, Bharti Niketan, Govindpura, Bhopal, Dist. Bhopal – 462044, Madhya Pradesh. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of Shree Jagram Nursing College, Madhya Pradesh. Even the institution Shree Jagram Nursing College has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Refusal for statutory inspection under section 13 of Indian Nursing Council Act 1947 is a serious issue. It is on the basis of inspections only that the Council would be in a position to decide about the suitability of the nursing institution to conduct nursing courses. Refusal for inspection would ipso facto mean that the institution does not possess the requisite Teaching, Clinical or infrastructural facilities.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 19/06/2021 any person holding a recognized qualification of B.Sc (N) from Shree Jagram Nursing College situated at C-118, Bharti Niketan, Govindpura, Bhopal, Dist. Bhopal – 462044, Madhya Pradesh shall be entitled to be registered only in the State of Madhya Pradesh.

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./533/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA